छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

बालको कोरबा को आवंटित भूमि

1. (*क्र. 1873) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालको कोरबा को 2003 के बाद कब-कब कितनी-कितनी शासकीय जमीन आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी भू-भाटक एवं प्रीमियम राशि प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी ? बालको द्वारा कितनी-कितनी राशि, कब-कब भू-भाटक एवं प्रीमियम के एवज में भुगतान की गई ? (ख) बालको कोरबा द्वारा भू-भाटक का प्रीमियम राशि तथा ब्याज राशि का कितना भुगतान किया जाना शेष है ? शेष राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बालको कोरबा को वर्ष 2003 के बाद कोई भी शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गई है. अतः भू-भाटक एवं प्रब्याजी निर्धारित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन

2. (*क्र. 1841) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला में स्थित वन क्षेत्रों में अवैध कोयला उत्खनन एवं कोरबा जिले के वन क्षेत्र में अवैध रूप से पानी सप्लाई की पाईप लाईन बिछाने के अवैध कार्यों के लिए किन-किन को दोषी पाया गया है, नाम सहित ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका "क" के दोषियों पर क्या आपराधिक मामले भी दर्ज किये गये हैं, यदि हां तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले के वन क्षेत्रों में अवैध कोयला उत्खनन से संबंधित प्रकरणों की जानकारी मय ब्यौरे के † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. कोरबा जिले के अन्तर्गत वन क्षेत्र में अवैध रूप से पानी सप्लाई की पाईप लाईन नहीं बिछाई गई है. (ख) जी हां. विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

सीमेन्ट संयंत्रों द्वारा क्रय कृषि भूमि का डायवर्सन

3. (*क्र. 1773) **श्री चैतराम साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में भाटापारा, सिमगा, बलौदाबाजार तहसील में किस-किस सीमेन्ट संयंत्र के द्वारा कब-कब कितनी-कितनी कृषि भूमि खरीदकर अपने नाम भू-अभिलेखों में दर्ज करा ली गई है ? (ख) उपरोक्त सीमेन्ट संयंत्रों के द्वारा भूमि का डायवर्सन कब कराया गया है और इससे शासन को कितनी राशि का आर्थिक लाभ हुआ है ? यदि डायवर्सन नहीं कराया गया है तो उनके विरुद्ध क्या जाँच एवं कार्यवाही की गई है बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले के बलौदाबाजार तहसील में स्थित लाफार्ज सीमेंट संयंत्र सोनाडीह द्वारा बलौदा बाजार तहसील के कुल 468.472 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं भाटापारा तहसील की कुल 67.385 हेक्टेयर कृषि भूमि, सिमगा तहसील में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी द्वारा 1039.629 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा सिमगा तहसील में ही ग्राम रवान स्थित ग्रासीम सीमेंट संयंत्र द्वारा 194.120 हेक्टेयर कृषि भूमि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कालम 5 में उल्लेखित तिथि अनुसार क्रय कर कालम 7 में उल्लेखित तिथि के अनुसार अपना नाम भू-अभिलेखों में दर्ज करा लिया गया है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित सीमेंट संयंत्रों द्वारा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" के कालम "3" में अंकित तिथि में डायवर्सन कराया गया है. इससे शासन को अर्जित राशि कालम "4" में दर्शाई गई है. सीमेंट संयंत्रों द्वारा संयंत्र एवं आवास हेतु भूमि का डायवर्सन करा लिये जाने के कारण उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

---

† परिशिष्ट "एक"

नई राजधानी परियोजना का क्षेत्रफल

4. (*क्र. 1573) **श्री रामदयाल उइके :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी परियोजना का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है ? (ख) कितनी-कितनी शासकीय एवं निजी भूमि अधिग्रहित की गई है ? (ग) कृषकों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? प्रति हेक्टेयर किस दर से किसानों को राशि दी गई ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) नया रायपुर का अधिसूचित क्षेत्रफल 23,742.63 हेक्टेयर है. (ख) नया रायपुर परियोजना हेतु कुल 26 ग्रामों की 2676.55 हेक्टेयर शासकीय भूमि कलेक्टर रायपुर द्वारा हस्तांतरित की गई है. माह फरवरी 2008 तक 2106.12 हेक्टेयर निजी भूमि आपसी सहमति से क्रय की गई है एवं भू-अर्जन अधिनियम के तहत 37.271 हेक्टेयर भूमि का अग्रिम आधिपत्य प्राप्त किया गया है. (ग) माह फरवरी तक आपसी सहमति से क्रय की गई निजी भूमि के एवज में रुपये 295 करोड़ 8 लाख 96 हजार 2 सौ 55 मात्र का मुआवजा कृषकों को दिया जा चुका है, तथा जिस भूमि का भू-अर्जन अधिनियम के तहत अग्रिम आधिपत्य प्राप्त किया गया है के एवज में 14 करोड़ 23 लाख 43 हजार 8 सौ 80 रुपये मात्र भू-अर्जन अधिकारी रायपुर के न्यायालय में जमा किया गया है. नया रायपुर के कोर क्षेत्र में आने वाले 13 ग्रामों में जहां कि 75 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहण/खरीदी जा रही थी 14-02-2008 के पूर्व प्रति हेक्टेयर सिंचित होने पर 14.75 लाख रुपये तथा असिंचित होने पर 13.75 लाख रुपये किसानों को दी जा रही थी. अब 14-02-2008 के बाद कोर क्षेत्र के सभी ग्रामों में सिंचित होने पर 14.75 लाख रुपये तथा असिंचित होने पर 13.75 लाख रुपये किसानों को दी जा रही है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन आश्रम

5. (*क्र. 1877) **श्री सेवकराम नेताम :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल विधान सभा क्षेत्र में कितने आश्रम भवन विहीन हैं ? भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : सात आश्रम भवन विहीन है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

जिला बिलासपुर में मिट्टीतेल का आवंटन एवं उठाव

6. (*क्र. 1887) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसंबर, 2007 एवं जनवरी, 2008 में बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितना-कितना किलोलीटर मिट्टीतेल का आवंटन किया गया ? (ख) कोटा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड कोटा में उक्त अवधि में कितना-कितना मिट्टीतेल आवंटित किया गया तथा कितने का उठाव किया गया ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2007 में 1668 एवं माह जनवरी, 2008 में 1668 के. एल. केरोसिन आवंटित किया गया. (ख) प्रश्नांकित अवधि में कोटा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड कोटा में मिट्टी तेल के आवंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा के. एल. में)

माह	आवंटन	उठाव
दिसम्बर, 2007	112.00	112.00
जनवरी, 2008	112.00	111.80

नई राजधानी के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि

7. (*क्र. 1531) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी एवं नया रायपुर के निर्माण के लिये किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी एकड़ भूमि का अधिग्रहण किन-किन दरों पर 14-02-2008 तक किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित राजधानी क्षेत्र के किस-किस ग्राम में निजी लोगों की जमीन की बिक्री पर रोक लगायी गई है तथा किस अवधि तक के लिये ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) नया रायपुर के निर्माण के लिए दिनांक 14-02-2008 तक कुल 2033.93 हेक्टेयर निजी भूमि आपसी सहमति से क्रय की गई है एवं भू-अर्जन अधिनियम के तहत 37.271 हेक्टेयर निजी भूमि का अग्रिम आधिपत्य प्राप्त किया गया है.

ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित राजधानी क्षेत्र के किसी भी ग्रामों में निजी लोगों के जमीन के बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है. 27 ग्रामों में विकास योजना के प्रकाशन तक कलेक्टर की पूर्व अनुमति आवश्यक की गई है.

समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग

8. (*क्र. 1696) **श्री भूपेश बघेल :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद समर्थन मूल्य में उपार्जित धान के वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2006-2007 तक कस्टम मिलिंग में किन-किन इकाइयों का कस्टम मिलर से अभी तक चांवल लेना शेष है ? (ख) चांवल लेने वाले किन मिलों पर कव्हरेज राशि नहीं है ? वसूली हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. शेष चावल की वसूली हेतु मिलर्स को नोटिस जारी किये गये हैं. चावल जमा नहीं कराने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करायी जा रही है.

उ. मा. शाला सिंघाभेंड़ी में रिक्त पदों की पूर्ति

9. (*क्र. 1872) **श्री रविन्दर पाल सिंह भाटिया :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड अं. चौकी में उ. मा. शाला सिंघाभेंड़ी में किन-किन संकायों में शिक्षक की सुविधा उपलब्ध है ? (ख) उक्त शाला में वर्तमान में संकायवार कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं ? कितने रिक्त हैं ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड अं. चौकी के उ. मा. शाला सिंघाभेंड़ी में केवल कला संकाय में शिक्षक की सुविधा उपलब्ध है. (ख) उक्त शाला में वर्तमान में कला विज्ञान एवं कृषि संकाय के 08 शिक्षा कर्मी वर्ग-01 के पद स्वीकृत है जिसमें 06 पद रिक्त है जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

प्रदेश के धान खरीदी का भुगतान

10. (*क्र. 1679) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2007-08 में खरीफ उत्पादन धान हेतु कितने सहकारी समिति धान खरीदी केन्द्र बनाये गये ? (ख) 31 जनवरी, 2008 तक रायगढ़ जिले के विभिन्न केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई ? (ग) क्या 31 जनवरी, 2008 तक खरीदी गई धान का भुगतान किसानों को पूरी तरह कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितनी राशि शेष है एवं कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? (घ) धान के भण्डारण की क्या व्यवस्था है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) वर्ष 2007-08 में 1333 सहकारी समितियों में कुल 1532 धान खरीदी केन्द्र बनाये गये. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी हां. भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं. (घ) मार्कफेड द्वारा धान के सुरक्षित भण्डारण के लिए जिले में 4 भण्डारण केन्द्र स्थापित किये गये हैं.

केरोसीन के आवंटन संबंधी

11. (*क्र. 1892) **मोहम्मद अकबर :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य को वर्ष 2007 एवं 2008 में भारत सरकार से कुल कितना केरोसीन आवंटन माहवार प्राप्त हुआ है ? (ख) उक्त अवधि में नगर निगम क्षेत्र रायपुर में माहवार कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) जानकारी ‡‡ संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जानकारी ‡‡ संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

---

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन" ‡ परिशिष्ट "चार" ‡‡ परिशिष्ट "पांच"

धान खरीदी एवं बारिश से धान के बचाव हेतु व्यय राशि

12. (*क्र. 1383) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 10 फरवरी 2008 की स्थिति में रायपुर जिले में कुल कितना धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया ? (ख) उक्त तिथि की स्थिति में बारिश तथा अन्य कारणों से कितना धान खराब हुआ ? (ग) 31 जनवरी, 2008 की स्थिति में धान खरीदी केन्द्र में संग्रहित धान की बारिश से सुरक्षा हेतु कितना व्यय किया गया ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) रायपुर जिले में दिनांक 10 फरवरी, 2008 की स्थिति में 756385 मे. टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया. (ख) उक्त तिथि की स्थिति में बारिश तथा अन्य कारणों से धान खराब नहीं हुआ. (ग) 31 जनवरी, 2008 की स्थिति में उपार्जित धान की बारिश से सुरक्षा हेतु (तालपत्री व पॉलिथीन) रुपये 437760 व्यय किया गया.

भवन विहीन छात्रावास एवं आश्रम शालाओं हेतु भवन व्यवस्था

13. (*क्र. 620) **श्री चन्द्रभान बारमते** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में आदिमजाति, अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास एवं आश्रम शालायें भवन विहीन है ? स्थान का नाम बतायें ? (ख) क्या उक्त भवन विहीन छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं को किराये के मकानों में संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रतिमाह विभाग द्वारा देय कुल किराया बतायें ? (ग) उक्त स्थानों में भवन कब तक बना लिया जायेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) 44 छात्रावास तथा 07 आश्रम, भवन विहीन है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित छात्रावास एवं आश्रमों में से 26 किराये के भवन में तथा 25 अन्य शासकीय भवनों में संचालित है. किराये में संचालित 26 में से 07 भवनों का किराया निर्धारित हुआ है जिसका मासिक किराया रुपये 30,946/- देय है. (ग) निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है.

एन. टी. पी. सी. द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि

14. (*क्र. 1829) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर स्थित सीपत में एन. टी. पी. सी. के निर्माणाधीन विद्युत परियोजना हेतु किस-किस गांव के कितने कृषकों की कितनी-कितनी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है. (ख) क्या यह सत्य है एन. टी. पी. सी. संयंत्र सीपत के प्रबन्धन द्वारा प्लान्ट के आसपास स्थित गांवों के विकास हेतु एम. ओ. यू. में प्रवधान किया गया है ? यदि हां तो कितने गांव में कौन-कौन से कार्य कितनी लागत कराये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) एन. टी. पी. सी. संयंत्र के साथ प्रश्नांकित प्रकार का एम.ओ. यू. नहीं हुआ है. परन्तु संयंत्र के प्रबन्धन द्वारा प्लान्ट के आसपास स्थित गांवों के लिये बनाई गई पुनर्वास कार्य योजना में गांवों के विकास का प्रावधान किया गया है. कराए गए विकास कार्यों का विवरण प्रपत्र "ब" में †† संलग्न है.

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत एन. जी. ओ. को स्वीकृत राशि

15. (*क्र. 1894) **श्री उदय मुदलियार** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 31-04-2005 से 31-01-2008 तक किन-किन कार्यों के लिये किन-किन एनजीओ को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके ? अगर नहीं, तो कब तक पूर्ण किए जाएंगे ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी नहीं. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

---

† परिशिष्ट "छः" †† परिशिष्ट "सात" ‡ परिशिष्ट "आठ"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों को सामग्री की आपूर्ति

16. (*क्र. 1796) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार 1-1-2008 की स्थिति में बतायें ? (ख) साजा विकासखंड के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों में नवम्बर एवं दिसम्बर 2007 का निर्धारित खाद्यान्न कब-कब पहुंचा ? (ग) नवम्बर-दिसम्बर 2007 में मिट्टी तेल किन-किन दुकानदारों को आवंटित नहीं किया गया है तथा किस दुकानदार द्वारा मिट्टीतेल उठाया ही नहीं गया है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या दिनांक 01-01-2008 की स्थिति में विकासखण्डवार निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	दुकानों की संख्या (3)
1.	दुर्ग	351
2.	धमधा	109
3.	पाटन	108
4.	गुण्डरदेही	109
5.	बालोद	57
6.	गुरूर	73
7.	डौंडीलोहारा	108
8.	डौंडी	67
9.	बेमेतरा	90
10.	नवागढ़	87
11.	साजा	90
12.	बेरला	80

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ग) माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2007 में मिट्टी तेल सभी दुकानदारों को आवंटित किया गया तथा सभी दुकानदारों द्वारा मिट्टी तेल का उठाव किया गया है.

प्रदेश में कार्यरत आई. एफ. एस. के विरुद्ध ई. ओ. डब्लू. द्वारा प्रस्तुत चालान

17. (*क्र. 1405) **श्री ओंकार शाह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 से 10-02-2008 तक वन विभाग के भारतीय वन सेवा (आई. एफ. एस.) के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध लोक आयोग तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई. ओ. डब्लू.) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन कब-कब चालान पेश किये गये हैं ? कृपया नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थल बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : मध्यप्रदेश में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय द्वारा श्री हरेश चन्द्र तिवारी, भा. व. से. के विरुद्ध दि. 25-10-2005 को माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल में तथा श्री बी. पी. नोन्हारे, भा. व. से. के विरुद्ध दि. 15-01-2007 को माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर (म. प्र.) के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया है. वर्तमान में श्री हरेश चन्द्र तिवारी अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ. ग. राज्य वनौषधि बोर्ड एवं श्री बी. पी. नोन्हारे, वन संरक्षक (संरक्षण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ हैं.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों का संचालन

18. (*क्र. 697) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिले में कितनी उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा तथा कितनी दुकानों का संचालन स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : दुर्ग जिले में 393 उचित मूल्य दुकानों का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा तथा 398 दुकानों का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है.

औद्योगिक प्रदूषण के मामलों में कार्यवाही

19. (*क्र. 1842) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 2008 के बाद उरला एवं सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण कितने कारखानों के खिलाफ किन धाराओं में कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? नाम सहित ब्यौरा दें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : प्रश्नाधीन अवधि में औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा एवं आस-पास स्थित 30 उद्योगों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा "31क" के तहत नोटिस तथा 08 उद्योगों को उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश दिये गये हैं. जानकारी क्रमशः † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है.

नई राजधानी निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा प्राप्त राशि

20. (*क्र. 1574) **श्री रामदयाल उइके :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नई राजधानी निर्माण हेतु भारत शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) राजधानी परियोजना का कार्य किसके द्वारा कराया जा रहा है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) नया रायपुर में मंत्रालय भवन, अधोसंरचना विकास हेतु बारहवें वित्त आयोग से 200 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से राज्य शासन से नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी को रु. 50 करोड़ जनवरी, 2008 तक उपलब्ध कराया जा चुका है. (ख) राजधानी परियोजना का कार्य नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के द्वारा किया जा रहा है.

मार्ग निर्माण हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण

21. (*क्र. 1878) **श्री सेवकराम नेताम :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कितने मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति लंबित है ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : कांकेर वन वृत्त के उत्तर कोण्डागांव एवं दक्षिण कोण्डागांव वन मण्डल में केशकाल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मार्ग निर्माण की अनुमति हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

नई राजधानी हेतु हाऊसिंग बोर्ड को उपलब्ध कराई गई भूमि

22. (*क्र. 1532) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नई रायपुर राजधानी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी एकड़ भूमि, शासन द्वारा किस-किस दर पर उपलब्ध करायी गई है ? कृपया ग्रामवार जानकारी देंवे ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को ग्राम नवागांव में 44.56 हेक्टेयर, ग्राम झांझ में 2.73 हेक्टेयर एवं ग्राम राखी में 8.38 हेक्टेयर भूमि आवासीय परियोजना हेतु हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है. शासन द्वारा प्रति हेक्टेयर रुपये 52 लाख 48 हजार भूमि सहित मूल्य निर्धारित किया गया है जिसमें 20 लाख 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर भूमि का मूल्य तथा 32 लाख 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर विकास प्रभार शुल्क है.

खरसिया विधान सभा क्षेत्र के किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

23. (*क्र. 1682) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरसिया विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों की गत तीन वर्षों में अधिग्रहित जमीन का मुआवजा वितरण प्रश्नांकित अवधि तक नहीं हो पाया है ? (ख) मुआवजा वितरण नहीं हो पाने का क्या कारण है तथा कब तक मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) खरसिया विधान सभा क्षेत्र के विगत तीन वर्षों में अधिग्रहित जमीन में से 297 कृषकों के

† परिशिष्ट "नौ"

मुआवजा वितरण प्रश्नांकित अवधि तक नहीं हो पाया है. (ख) आपसी विवाद एवं मृत्यु उपरान्त नामान्तरण तथा नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण लम्बित है समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

आयुक्त आदिमजाति विकास रायपुर को प्रेषित ज्ञापन संबंधी

24. (*क्र. 1893) **मोहम्मद अकबर** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय संस्थाओं के नवीन अनुदान प्रस्ताव 07-08 से संबंधित कलेक्टर सरगुजा द्वारा आयुक्त आदिमजाति विकास रायपुर को दिनांक 29-10-07 से 02-02-08 के मध्य प्रेषित किए गए ज्ञापन क्रमांक 2997, 3233, 4010, 4534, 4657, 6006, 6419, 6915, 6991 तथा 7411 के संबंध में क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्रदान की जाएगी ? अद्यतन स्थिति क्या है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : जी नहीं. अशासकीय संस्थाओं के नवीन अनुदान प्रस्ताव 07-08 से संबंधित कलेक्टर सरगुजा द्वारा आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर को दिनांक 29-10-2007 से 02-02-2008 के मध्य प्रेषित किये गये ज्ञापन क्रमांक- 4010, 4534, 4657, 6006, 6419, 6915, 6991 प्राप्त हो गये हैं, परंतु क्रमांक 2997, 3233 तथा 7411 अप्राप्त हैं. प्राप्त प्रस्तावों पर परीक्षण की कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा की जा रही है, जो उपयुक्त पाये जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा अपनी अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा के साथ शासन को प्रेषित करेंगे. जिस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने से स्वीकृति दी जाती है. इस प्रकार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अतः स्वीकृति प्रदान करने हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत अवैध कटाई के प्रकरणों पर कार्यवाही

25. (*क्र. 1825) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक अवैध कटाई के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? (ख) कितने व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई तथा उक्त समयावधि में आर्थिक दण्ड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) महासमुन्द जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक अवैध कटाई के कुल 130 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये. (ख) उक्त समयावधि में 116 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा कुल 12,550/- रुपये की राशि वसूली गई.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1841) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ वनमंडल

क्र.	पी. ओ. आर. क्रमांक व दिनांक	स्थल का नाम जहां पत्थर कोयला का उत्खनन हुआ है	अपराधी का विवरण	जप्त पत्थर कोयला की मात्रा (टन में)	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	393/04 30-10-04	635 RF	1. पुराऊ वल्द कुलधर कलगा, मिलुपारा 2. गणेश वल्द घसिया कलगा, मिलुपारा 3. रामनाथ वल्द मुनुराम रावत, मिलुपारा 4. बुधराम वल्द खसाबौगा कलगा, मिलुपारा 5. दुबराज वल्द नान्हीराम कलगा, मिलुपारा 6. नेहरू वल्द जीवनलाल कलगा, मिलुपारा 7. भुगदेव वल्द करमसिंग कलगा, मिलुपारा 8. सालिक वल्द अनेसर कलगा, मिलुपारा 9. साधुराम वल्द ठंडाराम कलगा, मिलुपारा 10. सुकसिंग वल्द ठंडाराम कलगा, मिलुपारा	3 टन	जप्त पत्थर कोयला को ग्राम करवाही में परिसर रक्षक प्रांगण में परिवहन कर रखा गया है. प्रकरण की विवेचना प्रगति पर है.
2.	3348/01 15-07-07	परिसर रक्षक दनोट के निवास स्थल	11. धनेश उर्फ कुरू वल्द चमार सिंह घसिया, साकिन कया.	10 टन	अपराधी को दिनांक 16-07-07 को न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया है. उक्त अपराध में संलिप्त वाहन सी. जी. 13 ए 5670 को आदेश क्र. 97 दिनांक 19-11-07 द्वारा शासन के पक्ष में राजसात किया गया है.
3.	3346/10 17-08-07	474 PF	12. दिलराम वल्द नानदाउ जरकट 13. भोजलाल वल्द चतुरसिंग मांझी कुडूमकेला.	2.5 टन	अपराधी के विरुद्ध दिनांक 18-08-07 को आरक्षी केन्द्र घरघोड़ा में एफ. आई. आर. दर्ज कराया गया है तथा न्यू सोनालिका ट्रेक्टर जप्त कर भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत जप्त किया गया है.
4.	367/22 11-11-07	484 RF	14. अफजल वल्द रजब बेग 15. गुड्डू उर्फ असरफ वल्द रजब बेग, घरघोड़ा.	22 ट्रिप पत्थर कोयला.	अपराधी के विरुद्ध दिनांक 12-11-07 को आरक्षी केन्द्र घरघोड़ा में एफ. आई. आर. दर्ज कराया गया है. कार्यालयीन आदेश क्र. 305 दिनांक 12-11-07 द्वारा मुल्जिम को रायगढ़ वनमंडल के अधिकारिता के अधीन आने वाले वन प्रकोष्ठों एवं वनमार्गों में प्रवेश आगामी

धरमजयगढ़ वनमंडल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	856/11 11-04-06	856 RF	16. इरफान वल्द खुदुस खान, पत्थलगांव	10 टन	कोयला पत्थर उत्खनन का आरोपी पाया गया एवं उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर है.
2.	855/23 08-03-04	ग्राम गहिरा के पास नकटा मार्ग घाट में.	17. राजेन्द्र वल्द निखेल उरांव, भगोरा	7.644 घ. मी.	कोयला पत्थर उत्खनन का आरोपी पाया गया एवं उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर है.
3.	3902/13 23-05-07	पत्थलगांव-रायगढ़ मुख्य मार्ग के समीप.	18. देवेन्द्र सिंह भाटिया उर्फ पोबी सरदार, पत्थलगांव 19. मनोज तिवारी, पत्थलगांव 20. बंशी चौहान, पत्थलगांव 21. अमृत तिर्की, तेजपुर	0.500 घ. मी.	कोयला पत्थर उत्खनन का आरोपी पाया गया एवं उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर है.
4.	3935/01 24-08-07	521 PF	22. सुरज वल्द रामसिंह, फुलीकुण्डा	38.840 घ. मी.	कोयला पत्थर उत्खनन का आरोपी पाया गया एवं उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर है.
5.	3935/02 24-08-07	521 PF	23. लच्छी वल्द गणपत, फुलीकुण्डा	-	अवैध कोयला उत्खनन के उद्देश्य से आ रहा खाली डंफर पाया गया. उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर.
6.	3935/05 26-09-07	180 PF	24. इमरान खान वल्द गयासुद्दीन खान पत्थलगांव 25. लाल वल्द सुलेख, पत्थलगांव	21.150 घ. मी.	कोयला पत्थर उत्खनन का आरोपी पाया गया एवं उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर है.
7.	3970/02 04-12-07	367 PF	26. देवेन्द्र सिंह भाटिया वल्द स्व. सरदार सुन्दर सिंह भाटिया, पत्थलगाव.	7.00 घ. मी.	कोयला पत्थर उत्खनन का आरोपी पाया गया एवं उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है. विवेचना प्रगति पर है.

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1531) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	ग्राम का नाम	आपसी सहमति से क्रय की गई भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	दर प्रति हेक्टेयर (लाख रुपयों में)	
			सिंचित	असिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सेंध	86.65	14.75	13.75
2.	खपरी	92.93	14.75	13.75
3.	कुहेरा	42.14	13.75	12.75
4.	बंजारी	12.59	13.75	12.75
5.	परसदा	66.96	13.75	12.75
6.	खंडवा	156.17	13.75	12.75
7.	तूता	230.81	14.75	13.75
8.	पलौद	58.80	13.75	12.75
9.	रीको	34.27	14.75	13.75
10.	बरौदा	59.52	13.75	12.75
11.	भेलवाडीह	39.76	13.75	12.75
12.	राखी	310.48	14.75	13.75
13.	चीचा	49.09	14.75	13.75
14.	उपरवारा	172.54	14.75	13.75
15.	नवागांव प. ह. नं. 75	32.52	14.75	13.75
16.	नवागांव प. ह. नं. 71	199.21	14.75	13.75
17.	पचेड़ा	18.39	13.75	12.75
18.	तेंदुआ	43.45	13.75	12.75
19.	झांझ	66.50	14.75	13.75
20.	कयाबांधा	121.33	14.75	13.75
21.	कोटराभाठा	83.29	14.75	13.75
22.	छतौना	53.89	14.75	13.75
23.	कुर्रू	1.67	13.75	12.75
24.	झांकी	0.97	13.75	12.75
	योग	**2033.93**		

भू-अर्जन अधिनियम के तहत् अग्रिम आधिपत्य में प्राप्त की गई भूमि

क्र.	ग्राम का नाम	आधिपत्य में प्राप्त की गई भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	सेरीखेड़ी	26.931
2.	राखी	10.34
	योग	**37.271**

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1696) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक	मिल/फर्म का नाम	कव्हरेज राशि उपलब्ध है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)
1.	श्री लक्ष्मी कमल पैडी, रायपुर	नहीं
2.	श्री लक्ष्मी कमल पैडी, रायपुर	नहीं
3.	श्री शिवजी ट्रेडर्स, भाटापारा	नहीं
4.	श्री श्याम एग्रो. बनारी, नैला	नहीं
5.	श्री रावल एग्रो इंड, अभनपुर	नहीं
6.	श्रीम ट्रेडर्स, खरोरा	नहीं
7.	मे. गोविन्द प्रसाद अग्रवाल, मोवा (नू. रा. मि.)	नहीं
8.	मे. संतोष कुमार गंगाधर, नेवरा	नहीं
9.	मे गजानंन ट्रेडिंग कंपनी, संबलपुर	नहीं
10.	मे. टिंगाला राईस मिल, मालीघोरी	नहीं
11.	मे. बालाजी इंड. जेवरा	हां
12.	मे. राधिका उद्योग, जेवरा	हां
13.	मे. संतहरदास राम रा. मि., समोदा	हां
14.	मे. श्याम उद्योग, कोनारी (RR)	हां
15.	मे. श्याम उद्योग, कोनारी (PB)	हां
16.	मे. महाराज पैडी प्रोस करंजा (RR)	हां
17.	मे. महाराज पैडी प्रोस करंजा (PB)	हां
18.	मे. शिव राईस मिल, दुर्ग	हां
19.	मे. प्रभा राईस मिल, गंडई	नहीं
20.	मे. रोशन राईस मिल, भेजगांव	नहीं
21.	मे. आकाश राईस मिल, पेन्ड्रारोड	हां
22.	मुखी राईस मिल, करगीरोड	नहीं
23.	गायेल राईस मिल, लोरमी	नहीं
24.	अनुराग राईस मिल, कटघोरा	नहीं
25.	अशोक राईस मिल, कटघोरा	नहीं
26.	जे. पी. अग्रवाल, कटघोरा	नहीं
27.	गोयल राईस मिल, कटघोरा	नहीं
28.	रापवशंकर राईस मिल, कटघोरा	नहीं
29.	नितिन ट्रेडर्स, कटघोरा	नहीं
30.	मे. विजय ट्रेडिंग कंपनी, फगुरम	हां
31.	पीरूमल राधावल्लभ, जांजगीर	नहीं
32.	महालक्ष्मी राईस मिल पेण्डी, जांजगीर	नहीं
33.	बैजनाथ परवायलिंग इण्ड., जांजगीर	नहीं
34.	श्री राम राईस मिल, नैला	नहीं
35.	श्री श्याम फूड प्रोडक्ट बनारी, जांजगीर	नहीं
36.	मे. दीनदयाल अग्रवाल, अकलतरा	हां
37.	मे. शंभू दयाल गिरीश कुमार, नैला	हां
38.	श्री श्याम एग्रो मिलिंग इ. बनारी, जांजगीर	नहीं
39.	रामनारायण सत्यनारायण अग्रवाल, जांजगीर	नहीं
40.	डी. एल. केडिया एण्ड कं., अकलतरा	नहीं

(1)	(2)	(3)
41.	लक्ष्मीनारायण इण्ड., अकलतरा	नहीं
42.	लालजी चन्द्रशेखर कौशिक, अकलतरा	नहीं
43.	चुन्नीलाल रामनिवास पेण्ड्री, जांजगीर	नहीं
44.	अशोक राईस मिल, सक्ती	नहीं
45.	नानक ट्रेडिंग कं., अकलतरा	नहीं
46.	श्री दुर्गा राईस मिल, चाम्पा	नहीं
47.	मां बम्लेश्वरी राईस मिल, चाम्पा	नहीं
48.	गजानन्द राईस मिल भाठा, फगुरम	नहीं
49.	महामाया ट्रेडिंग कम्पनी , अकलतरा	नहीं
50.	बंसल ट्रेडिंग कम्पनी, अकलतरा	नहीं
51.	सुभाष ट्रेडिंग कम्पनी, अकलतरा	नहीं
52.	अजय एग्रो, सक्ती	नहीं
53.	कृष्णा गोपाल देवेन्द्र कुमार, चाम्पा	नहीं
54.	शिवशक्ति राईस प्रोसे., बाराद्वार	नहीं
55.	जे. बी. एण्ड सन्स, सक्ती	नहीं
56.	विजय ट्रेडिंग कम्पनी, फगुरम	नहीं
57.	मे. श्री महालक्ष्मी रा. मि., कुनकुरी	हां
58.	मे. श्री दुर्गा राईस मिल, नरियरा	हां
59.	मे. श्री मा. महामाया एग्रो इंड., जांजगीर	नहीं
60.	मे. लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, रायगढ़	नहीं
61.	कि. रा. मि. रायगढ़ मे. अन्नपूर्णा रा. मि., रायगढ़	नहीं
62.	मे. जगदीश राईस मिल, कोड़ातराई	नहीं
63.	मे. रायगढ़ फुड्स एण्ड हॉटल, पुसौर	नहीं
64.	मे. लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, सहदेवपाली	नहीं
65.	मे. बालाजी राईस मिल, रायगढ़	नहीं
66.	मे. रायगढ़ राईस मिल, रायगढ़	नहीं
67.	मे. मारूति ट्रेडिंग कंपनी, रायगढ़	नहीं
68.	मे. सावित्री राईस मिल, सहदेवपाली	नहीं
69.	मे. मां बजारी राईस मिल, सहदेवपाली	नहीं
70.	मे. प्रमोद मिनी राईस मिल, कोड़ातराई	नहीं
71.	मे. शोभा राईस मिल, खरसिया	नहीं
72.	मे. शिव राईस मिल, पत्थलगांव	नहीं
73.	मे. जिंदल पैडी प्रो., खरसिया	नहीं
74.	मे. आलोक राईस मिल, खरसिया	नहीं
75.	मे. गणपति राईस मिल, रायगढ़	नहीं
76.	मे. तिरूपति राईस मिल, रायगढ़	नहीं
77.	मे. जगदम्बा ट्रेडर्स, बरमकेला	नहीं
78.	मे. सूर्या राईस प्रो. सहदेवपाली	नहीं
79.	मे. जय भारत राईस मिल, खरसिया	नहीं
80.	मे. एम. आर. राईस मिल, खरसिया	नहीं
81.	मे. कबीर राईस मिल, खरसिया	नहीं
82.	मे. श्री राम ट्रेडर्स, झाराडीह	नहीं
83.	मे. मोहन राईस, खरसिया	नहीं
84.	मे. हनुमान राईस मिल, लैलूंगा	नहीं
85.	मे. गणपति राईस मिल, कुडुमकेला	नहीं
86.	मे. मारूति ट्रेडिंग कंपनी, रायगढ़	नहीं

(1)	(2)	(3)
87.	मे. शारदा रा. मि. मुरालीपाली, रायगढ़	नहीं
88.	मे. रायगढ़ फुड्स एंड होटल बिजनेस पुसौर, रायगढ़	नहीं
89.	बंसती राईस मिल, खरसिया	नहीं
90.	श्री राम ट्रेडर्स, झाराडीह	नहीं
91.	मे. महालक्ष्मी फुड प्रोड., रायकेरा	हां
92.	मे. शारदा फुड प्रो., लखनपुर	नहीं
93.	पवन ऑयल राईस मिल, अंबिकापुर	नहीं
94.	मे. विश्वनाथ पैडी प्रोसेसिंग, अंबिकापुर	हां
95.	माँ कुदरगढ़ी राईस मिल, सूरजपुर	नहीं
96.	माँ लक्ष्मी राईस मिल, सकालो	नहीं
97.	माँ माहेश्वरी राईस मिल, अंबिकापुर	नहीं
98.	जय लक्ष्मी राईस मिल, विश्रामपुर	नहीं
99.	अन्नपूर्णा राईस मिल, अंबिकापुर	नहीं
100.	जय दुर्गा राईस मिल, लखनपुर	नहीं
101.	एम. एल. ए. पैडी, विश्रामपुर	नहीं

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 872) के भाग (ख) की जानकारी]

उ. मा. शा. सिंगाभेड़ी में संकायवार स्वीकृत, भरे, रिक्त पद

क्र.	स्वीकृत पद		भरे पद	रिक्त पद
	संकाय	विषय		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कला	भूगोल 01 पद	भूगोल,	-
		अर्थशास्त्र 01 पद	अर्थशास्त्र	-
		अंग्रेजी 01 पद	-	अंग्रेजी
2.	विज्ञान	गणित 01 पद	-	गणित
		रसायन 01 पद	-	रसायन
		भौतिक 01 पद	-	भौतिक
		जीवविज्ञान 01 पद	-	जीवविज्ञान
3.	कृषि	कृषि 01 पद	-	कृषि
	योग	**08 पद**	**02 पद**	**06 पद**

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1892) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रमांक (1)	माह (2)	आवंटन मात्रा (के. एल. में) (3)
1.	जनवरी 2007	15734
2.	फरवरी 2007	15734
3.	मार्च 2007	15734
4.	अप्रैल 2007	15734
5.	मई 2007	15734
6.	जून 2007	15734
7.	जुलाई 2007	15734
8.	अगस्त 2007	15734
9.	सितम्बर 2007	15734
10.	अक्टूबर 2007	15734
11.	नवम्बर 2007	15734
12.	दिसम्बर 2007	15734
13.	जनवरी 2008	15734
14.	फरवरी 2008	15835

प्रपत्र "ब"

क्रमांक (1)	माह (2)	आवंटन मात्रा (के. एल. में) (3)
1.	जनवरी 2007	504
2.	फरवरी 2007	504
3.	मार्च 2007	504
4.	अप्रैल 2007	504
5.	मई 2007	504
6.	जून 2007	408
7.	जुलाई 2007	408
8.	अगस्त 2007	408
9.	सितम्बर 2007	408
10.	अक्टूबर 2007	408
11.	नवम्बर 2007	408
12.	दिसम्बर 2007	408
13.	जनवरी 2008	408
14.	फरवरी 2008	408

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 620) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बिलासपुर जिले में भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)
1.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मुंगेली
2.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, लोरमी
3.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोटा
4.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, केंवची
5.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, खोड़री
6.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, लालपुर
7.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, धनौली
8.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोड़गार
9.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सरकारीपारा
10.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पुरपुर
11.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उषाड़
12.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कटरा
13.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, भर्रीडांड
14.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सिवनी
15.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बरौर
16.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, अमेराटिकरा
17.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बंशीताल
18.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, सेमरदर्री
19.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बगरार
20.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पोंबहा
21.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, करहनी
22.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, अण्डी
23.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, गुदुमदेवरी
24.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, भस्कुरा
25.	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, रूमगा
26.	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कटरा
27.	प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, केन्दा
28.	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, भटचौरा
29.	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, लोरमी
30.	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक नवीन छात्रावास, मुंगेली
31.	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, तखतपुर
32.	प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, लालपुर
33.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, तखतपुर
34.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, तखतपुर
35.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, पथरिया
36.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, कोटा
37.	पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, गौरेला
38.	पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, मरवाही
39.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मस्तुरी
40.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिल्हा

(1)	(2)
41.	पोस्ट-मैट्रिक कर्मचारी पुत्री छात्रावास, बिलासपुर
42.	पोस्ट-मैट्रिक कर्मचारी पुत्र छात्रावास, बिलासपुर
43.	पोस्ट-मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास, बिलासपुर
44.	पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मुंगेली
45.	आदिवासी कन्या आश्रम, मुंगेली
46.	आदिवासी कन्या आश्रम, लोरमी
47.	आदिवासी कन्या आश्रम, कोटा
48.	आदिवासी कन्या आश्रम, तखतपुर
49.	आदिवासी बालक/ कन्या आश्रम, चुकतीपानी
50.	आदिवासी बालक/कन्या आश्रम, छपरवा
51.	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, लोरमी

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1829) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	निर्माणाधीन परियोजना/योजना का नाम		ग्राम का नाम	कृषकों/खातेदारों की संख्या	अधिग्रहित भूमि का रकबा/क्षेत्रफल (एकड़)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	गतौरा	130	156.74
		रेलपथ		119	42.14
		योग		**249**	**198.88**
2.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	देवरी	98	47.98
		रेलपथ		33	11.24
		योग		**131**	**59.22**
3.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	जांजी	701	371.98
4.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	सीपत	279	259.28
		स्वीचयार्ड		253	155.23
		योग		**532**	**414.51**
5.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	कर्रा	5	4.49
		ड्रेनेज कारीडोर		16	14.51
		योग		**21**	**19.00**
6.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	कौड़िया	196	153.86
		रेलपथ		13	4.25
		योग		**209**	**158.11**
7.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	रलिया	61	55.76
8.	एन. टी. पी. सी., सीपत	प्लान्ट	रांक	576	628.59
9.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	सैदा	56	21.21
10.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	पन्धी	52	32.08
11.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	दवनडीह	26	12.87
		ड्रेनेज कारीडोर		24	20.51
		योग		**50**	**33.38**

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
12.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	दर्राभाठा	29	11.94
13.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	उसलापुर	17	6.10
14.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	खांडा	33	12.35
15.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	धनिया	50	13.30
16.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	बनियाडीह	45	10.00
17.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	खम्हरिया	11	3.82
18.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	चिचराचार	48	16.98
19.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	म्हूरा	61	13.66
20.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	मर्दई	47	12.63
21.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	बिटकुला	74	22.01
22.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	उड़ांगी	09	1.61
23.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	कुकदा	07	0.74
24.	एन. टी. पी. सी., सीपत	रेलपथ	भिलदू	32	11.50
25.	एन. टी. पी. सी., सीपत	ड्रेनेज कारीडोर	पसाही	02	1.84
		स्वीचयार्ड प्लान्ट		2299	1833.91
		रेलपथ		762	260.83
		ड्रेनेज कारीडोर		42	36.86
		महायोग		**3103**	**2131.60**

प्रपत्र "ब"

एनटीपीसी सीपत की पुनर्वास कार्य योजना के अनुसार किए गए सामुदायिक विकास कार्य

क्र. (1)	ग्राम (2)	विवरण (3)	कुल लागत (4)
1.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा.	सामुदायिक विकास हेतु प्रत्येक ग्राम की ग्राम पंचायतों को 40-40 लाख रुपये प्रदान की गई.	कुल 240 लाख रुपये
2.	मोपका-सीपत सड़क	सड़क निर्माण (पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा डिपॉजिट कार्य)	कुल 975 लाख रुपये
3.	लगरा-गतौरा सड़क	सड़क निर्माण (पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा डिपॉजिट कार्य)	कुल 427 लाख रुपये
4.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा.	प्रत्येक ग्राम में एक-एक अस्पताल भवन का निर्माण.	कुल 20.43 लाख रुपये
5.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा, दवनडीह, हरदीविशाल.	प्रत्येक ग्राम में एक-एक स्कूल भवन का निर्माण.	कुल 76.44 लाख रुपये
6.	सीपत	सामुदायिक भवन का निर्माण	कुल 13.87 लाख रुपये
7.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा.	प्रत्येक ग्राम में दो-दो ट्यूबवेल का निर्माण	कुल 20.90 लाख रुपये
8.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा.	सभी ग्रामों में कुल 36 हेण्ड पम्प का चबुतरा सहित निर्माण.	कुल 9.8 लाख रुपये
9.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा.	प्रत्येक ग्रामों में पहुंच मार्ग का निर्माण	कुल 70.56 लाख रुपये
10.	सीपत, जांजी, कर्रा, कौड़िया, देवरी, रलिया, रांक, गतौरा.	प्रत्येक ग्रामों में शवदाह चबुतरे का निर्माण	कुल 0.50 लाख रुपये
11.	बनियाडीह, बिटकुला, दर्राभाठा, दवनडीह, धनियां, खैरा, खम्हरिया, खांडा, कुकदा, लुतरा, मड़ई, निरतु, पंधी, परसाही, पिपरानार, उड़ांगी, उसलापुर.	प्रत्येक ग्रामों में एक-एक किमी. खरंजा मार्ग का निर्माण.	कुल 125.00 लाख रुपये
12.	बनियाडीह, बिटकुला, दर्राभाठा, दवनडीह, धनियां, खैरा, खम्हरिया, खांडा कुकदा, लुतरा, मड़ई, निरतु, पंधी, परसाही, पिपरानार, उड़ांगी, उसलापुर.	प्रत्येक ग्रामों में दो-दो हेण्ड पम्प का चबुतरा सहित निर्माण.	कुल 20.53 लाख रुपये
13.	सीपत कालेज	कम्प्यूटर कक्ष का निर्मांण	कुल 4.15 लाख रुपये

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1894) के भाग (क) की जानकारी]

31-04-05 से 31-01-08 तक

वर्ष (1)	कार्य का नाम (2)	एन. जी. ओ. का नाम (3)	स्वी. राशि (4)
2005-06	वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्यक्रम, पेन्डूर	आरोहण समाज सेवी समिति, दुर्ग	4.93
2005-06	आदिवासी महिला को मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण, मुकादाह	आरोहण समाज सेवी समिति, दुर्ग	4.00
2005-06	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोटाटोला	आरोहण समाज सेवी समिति, दुर्ग	4.95
2005-06	आदिवासी महिला को टेराकोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम,गोपलीनचुवा	मां भारती भौगोलिक सामाजिक अनुसंधान संस्थान, राजनांदगांव.	4.00
2005-06	आदिवासी महिला को टेराकोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम, मोहनपुर	मां भारती भौगोलिक सामाजिक अनुसंधान संस्थान, राजनांदगांव.	4.00
2005-06	सामुदायिक पौध नर्सरी की स्थापना, भर्रीटोला	हिमाचल इंस्टी, ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, राजनांदगांव.	7.30
2005-06	सामुदायिक पौध नर्सरी की स्थापना, गिधाली	हिमाचल इंस्टी, ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, राजनांदगांव.	7.30
2005-06	आदिवासी महिला को दोनापत्तल निर्माण प्रशि. कार्य, बोरिया	जनसेवा युवा समिति, सीतागांव, मानपुर	3.00
2005-06	हस्तकला प्रशिक्षण कार्यक्रम, खड़गांव	जनसेवा युवा समिति, सीतागांव, मानपुर	5.00
2005-06	बांस बेंत से सामग्री निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, बुचाटोला	छ. ग. सर्वजन विकास समिति, राजनांदगांव	4.00
2005-06	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, चारभाठा	समृद्धि आदिवासी वनांचल विकास समिति, राजनांदगांव.	4.92
2005-06	आदिवासी महिला को बाम्बूक्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, आडेझर.	लोक सृजन शिक्षण समिति, चौकी	3.81
2006-07	बांसकला प्रशिक्षण कार्यक्रम, औंधी	वनांचल शिक्षण विकास समिति, चौकी	4.00
2006-07	बांसकला प्रशिक्षण कार्यक्रम, पठानढोढगी	वनांचल शिक्षण विकास समिति, चौकी	4.00
2006-07	सामुदायिक पौध नर्सरी की स्थापना, खुर्सीटिकुल	हिमाचल इंस्टी, ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, राजनांदगांव.	7.10
2006-07	सामुदायिक पौध नर्सरी की स्थापना, जामड़ी	हिमाचल इंस्टी, ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, राजनांदगांव.	7.10
2007-08	बढ़ईगिरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मक्के	वनांचल शिक्षण विकास समिति, चौकी	4.75
2007-08	नाडेप खाद निर्माण कार्यक्रम, आमाटोला	उपकार सामाजिक संस्था, राजनांदगांव	4.00
2007-08	सामुदायिक पौध नर्सरी की स्थापना, सिंगाभेंडी	हिमाचल इंस्टी, ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, राजनांदगांव.	8.18
2007-08	बांसकला प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुसुमकसा	वनांचल शिक्षण विकास समिति, चौकी	4.00
2007-08	बढ़ईगिरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, वासड़ी	जनसेवा युवा समिति, सीतागांव, मानपुर	4.25
2007-08	बढ़ईगिरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाटनखास	वनांचल शिक्षण विकास समिति, चौकी	4.25
2007-08	सिलाई बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, भोजटोला	प्रयत्न सामाजिक संस्थान, चौकी	4.00
2007-08	बढ़ईगिरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सीतागांव	जनसेवा युवा समिति, सीतागांव, मानपुर	4.75
2007-08	नाडेप खाद निर्माण कार्यक्रम, कंदाड़ी	नया सवेरा वेलफेयर सोसायटी, राजनांदगांव	3.98
2007-08	अचार पापड़ बड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोहका	महिला हुनर आर्गेनाइजेशन, डोंगरगांव	3.00
2007-08	टेराकोटा प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोहका	मां भारती भौगोलिक सामाजिक अनुसंधान संस्थान राजनांदगांव.	4.00
2007-08	सामुदायिक पौध नर्सरी की स्थापना, कंदाड़ी	हिमाचल इंस्टी, ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट, राजनांदगांव.	8.18
2007-08	बांसकला प्रशिक्षण कार्यक्रम, सीतागांव	जनसेवा युवा समिति, सीतागांव, मानपुर	4.00
2007-08	बढ़ईगिरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, बरबसपुर	युवा कल्याण समिति, राजनांदगांव	4.25
2007-08	सिलाई बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, उमरवाही	शक्ति दीप महिला मण्डल, राजनांदगांव	4.00
2007-08	बांसकला प्रशिक्षण कार्यक्रम, लालूटोला	महिला हुनर आर्गेनाइजेशन, डोंगरगांव	4.00

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1842) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा "31 क" के तहत प्रश्नाधीन अवधि में नोटिस जारी किये जाने वाले उद्योगों की जानकारी

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	नोटिस जारी दिनांक (3)
1.	मेसर्स भगवती पॉवर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर (छ. ग.)	14-01-2008
2.	मेसर्स यूरो प्रतीक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, रायपुर (छ. ग.)	14-01-2008
3.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.)	15-01-2008
4.	मेसर्स विनायक इस्पात उद्योग औद्योगिक क्षेत्र रांवाभाठा, रायपुर (छ. ग.)	23-01-2008
5.	मेसर्स अम्बे इस्पात गोगांव, रायपुर (छ. ग.)	23-01-2008
6.	मेसर्स श्रीराम रोलिंग मिल औद्योगिक क्षेत्र रांवाभांठा, रायपुर (छ. ग.)	30-01-2008
7.	मेसर्स सर्वोत्तम इस्पात औद्योगिक क्षेत्र रांवाभाठा, रायपुर (छ. ग.)	30-01-2008
8.	मेसर्स सत्यार्थ स्टील प्राईवेट लिमिटेड बोरझरा, रायपुर (छ. ग.)	08-02-2008
9.	मेसर्स अमृत स्टील रोलिंग मिल औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ. ग.)	08-02-2008
10.	मेसर्स श्री गिरिजा स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
11.	मेसर्स श्री निवास फेरो एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
12.	मेसर्स इंडियन स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम, चरौदा, सिलतरा, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
13.	मेसर्स आर. एस. स्टील उद्योग औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
14.	मेसर्स जे. जे. री-रोलर्स औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
15.	मेसर्स अग्रसेन री-रोलर्स औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
16.	मेसर्स श्रीराम स्टील चंदनीडीह, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
17.	मेसर्स राजेश स्टील इण्डस्ट्रीज टाटीबंध, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
18.	मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेस-2, रायपुर (छ. ग.)	13-02-2008
19.	मेसर्स घनकुन स्टील प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा, रायपुर (छ. ग.)	12-02-2008
20.	मेसर्स वन्दना ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2 रायपुर (छ. ग.)	12-02-2008
21.	मेसर्स गगन रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड मुरेठी, सिलतरा, रायपुर (छ. ग.)	12-02-2008
22.	मेसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्राम गिरौद, रायपुर (छ. ग.)	15-02-2008
23.	मेसर्स शिवालय इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम कारा, गुमा-उरला रोड, रायपुर (छ. ग.).	15-02-2008
24.	मेसर्स श्री सीता इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम बोरझरा, गुमा-उरला रोड, रायपुर (छ. ग.).	15-02-2008
25.	मेसर्स श्रीनिवासा मारुति स्टील प्राईवेट लिमिटेड ग्राम तेंदुआ, रायपुर (छ. ग.)	15-02-2008
26.	मेसर्स आलोक फेरो एलाय उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (छ. ग.)	21-02-2008
27.	मेसर्स छत्तीसगढ़ इस्पात उद्योग सोनडोंगरी, रिंगरोड नं. 2, रायपुर (छ. ग.)	21-02-2008
28.	मेसर्स सिंघ इस्पात रांवाभाठा इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायपुर (छ. ग.)	27-02-2008
29.	मेसर्स पारस ऑयल एक्सट्रेक्शन लिमिटेड उरला औद्योगिक रायपुर (छ. ग.)	27-02-2008
30.	मेसर्स श्री सुदर्शन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (छ. ग.)	27-02-2008

प्रपत्र "ब"

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा "31 क" के तहत प्रश्नाधीन अवधि में उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किये जाने वाले उद्योगों की जानकारी

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम (2)	निर्देश जारी दिनांक (3)
1.	मेसर्स एस. के. एस. इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड (30 मेगावॉट कोल बेस्ड पॉवर प्लांट) सिलतरा, रायपुर.	11-02-2008
2.	मेसर्स जी. आर. मिनरल्स एंड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (फेरो एलॉय डिवीजन), सिलतरा, रायपुर.	11-02-2008
3.	मेसर्स सतीश स्टील इण्डस्ट्रीज, सोनडोंगरी रायपुर.	11-02-2008
4.	मेसर्स रघुनाथ रोलिंग मिल, गोगांव रायपुर	11-02-2008
5.	मेसर्स रघुपति इस्पात, गोगांव रायपुर	11-02-2008
6.	मेसर्स अग्रवाल स्पंज लिमिटेड, सिलतरा रायपुर	12-02-2008
7.	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड (कोल बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट), सिलतरा, रायपुर.	15-02-2008
8.	मेसर्स महामाया स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, रायपुर (छ. ग.)	15-02-2008